HIMALAYA PARIDRISYA
(Half Yearly Journal)
(Refereed Research Journal of Humanities & Social Science)
Vol - III, ISSU - I,
March, 2017
ISSN - 2395-485X

भ्रूण हत्या - दो महिलाओं की हत्या

✍ दीपशिखा पुरोहित
अतिथि शिक्षक, महिला पी.जी. महाविद्यालय,
प्रतापनगर, जोधपुर (राजस्थान)

सारांश -

सरकारी आंकड़ों में घटते हुए लिगांनुपात को देखकर उपजी चिंता की वजह तलाशते हुए कन्या भ्रुण हत्या को ... करार दिया गया है। ग्रामीण परिवेश से निकलकर तथाकथित सभ्य एवं शिक्षित शहरी समाज में कन्या भ्रुण हत्या की समस्या में बढ़ोतरी हुई है, जिसके फलस्वरूप लिगांनुपात निरंतर घट रहा है। समेकित सामाजिक प्रयासों द्वारा व ... जागरूकता अभियानों द्वारा इस पर लगाम लगाई जाना अतिआवश्यक है, ताकि स्त्री भी अपने स्वाभिमान के साथ ... का हक ले सके और आजादी का वास्तविक आनन्द ले सके, एक बाप बेटी को बोझ के बजाय गौरव महसूस करे, व लैंगिक भेदभाव समाप्त हो।

कुछ मांगा नही, कुछ चाहा नही,
आदतों को बदला, चाहतों को बदला,
बदला बस खुद को, कि रिश्ता तो टूटे नही।

वैदिक युग में महिलाओं की प्रस्थिति का स्वर्ण युग था। उस समय महिलाओं की स्थिति उच्च थी। पितृसत्तात्मक पारिवारिक व्यवस्था होने के कारण पुत्र जन्म का महत्व अधिक था परन्तु उसके उपरान्त भी पुत्री को पुत्र के समान सुविधाएँ प्रदान की जाती थी। शिक्षा के संबंध में भी पुत्र व पुत्री के मध्य भेदभाव नही था। लड़कियों का वेद के ... कार्य से पूर्व उपनयन संस्कार किया जाता था। ऋग्वेद की ऋचाओं के रचनाकारों में लगभग 20 स्त्रियाँ थी। उस ... महिलाओं को समृद्धि की देवी के रूप में माना जाता था। यज्ञ, धार्मिक अनुष्ठान आदि में पत्नी को पति के साथ ... किया जाता था। उसे सहधर्मिणी कहा जाता था। विधवा स्त्री को पुर्नविवाह की स्वतंत्रता थी। परन्तु मध्यकाल में ... की स्थिति निम्न हो गई थी। इस्लाम की कट्टरवादिता मुस्लिम आक्रमणकारियों के प्रभाव के कारण भारतीय ... में महिलाओं की प्रस्थिति निम्न होती जा रही थी। उस समय महिलाओं के कई अधिकार छीन लिए गए। उसकी ... अत्यंत दयनीय हो गई। पर्दा प्रथा का प्रचलन हो गया। ब्राह्मणों ने स्त्री संबंधी प्रथाओं व विवाह के नियमों को ... कर दिया। विधवा पुर्नविवाह को भी निषेध कर दिया गया। उनसे संपति का अधिकार भी छीना गया। मुसलमानों ... हेतु कम आयु में विवाह किया जाने लगा।

ब्रिटिश काल में भारतीय पुरूष, समाज सुधारक व ब्रिटिश सरकार के प्रयासों द्वारा अनेक कानून व अधिनियम ... की प्रस्थिति सुधारने हेतु निर्मित हुए। जैसे- 1929 में सती प्रथा उन्मूलन अधिनियम, 1956 में विधवा ... अधिनियम, 1872 सिविल मैरिज अधिनियम, 1874 में विवाहित पत्नि संपति अधिनियम, 1929 बाल विवाह ... अधिनियम आदि। इस संपूर्ण काल के बाद भी इतिहास इस बात का साक्षी है कि भारत में महिलाएं अपमान, उत्पीडन व शोषण का शिकार रही है। उत्पीडन व हिंसा तथा महिलाओं का संबंध सदियों से रहा है। एक ... की तुलना हम एक सुगंधित अगरबत्ती या जलते हुए दीपक से कर सकते है। जो जीवन में सुगन्ध व प्रकाश को ... है और स्वयं हिंसा व शोषण से जलकर राख हो जाती है। स्त्री जो कि समाज का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसके ... है जैसे माँ, बहिन, पत्नी, बहू, बेटी आदि। स्त्री प्रत्येक रूप में पूजनीय रही है क्योंकि ईश्वर ने उसे जिन गुणों ... है, वे गुण पुरुषों में नहीं हो सकते। नारी एक जननी है, शक्ति का स्वरूप है।

नारी सहनशीलता, सादगी व त्याग की मूर्ति होती है। उसके ये गुण पुरुषों से उसे उच्च बनाते है। इसके बावजूद समाज में नारी के समक्ष अनेक समस्याएँ होती है। चाहे वह बलात्कार से संबंधित हो, दहेज से संबंधित हो अथवा कन्या भ्रूण हत्या से संबंधित हो। प्रत्येक समस्या नारी को एक अंधेरे गर्त की ओर ले जाता है। प्रत्येक समुदाय में प्रारंभ से ही कन्या वध पाया जाता रहा है। अतः समाज को इस अभिशाप से मुक्त करवाना आवश्यक हो गया है, अन्यथा यह नारी के अस्तित्व के लिए खतरा बढ़ रहा है, साथ ही सामाजिक व्यवस्था भी प्रभावित हो रही है।

वर्तमान समय में नई प्रजनन तकनीकों का दुरूपयोग अंधाधुंध तरीकों से किया जा रहा है। यह किसी एक क्षेत्र, जाति, वर्ग, धर्म, शिक्षा से संबंधित नहीं है, अपितु यह प्रत्येक जाति, वर्ग, धर्म, शिक्षा की पृष्ठभूमि से जुड़ी हुई समस्या है। प्रसवपूर्व लिंग जाँच प्रथम अवस्था है, जो कि कन्या वध में प्रयुक्त की जाती है। इसके आधार पर लिंग का पता लगाया जाता है व यदि लिंग (भ्रूण) कन्या हो, तो कोख में ही उसे मार दिया जाता है। इससे कन्याओं के जन्म के अनुपात में निरन्तर गिरावट आ रही है। जबकि नारी के बिना परिवार का कोई अस्तित्व नहीं है तथा परिवार के अभाव में समाज की कल्पना भी असंभव है। अतः नारी स्वयं में परिपूर्ण है तथा समाज में अनुपम व अतुलनीय स्थान रखती है। नारी समाज की पोषक है।

प्रोद्यौगिकी के विकास के साथ-साथ हिंसा व शोषण के प्रकारों में भी परिवर्तन आया है। कन्या भ्रूण हत्या बालिका यौन शोषण, यौन उत्पीड़न अनैतिक देह व्यापार, असुरक्षित गर्भपात, कार्यस्थल पर यौन शोषण, दहेज उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, बलात्कार आदि महिलाओं के साथ होने वाले प्रमुख अपराध है। महिलाओं के प्रति हिंसा का एक भयानक रूप गर्भपात है। सामान्यतः गर्भपात का तात्पर्य है कि जब बीस सप्ताह से कम समय में भ्रूण के स्वयं विकसित होने से पहले किसी प्राकृतिक या कृत्रिम उपायों से गर्भ समाप्त कर दिया जाता है। गर्भपात को कानूनी स्वरूप दिया गया ताकि महिलाएँ अपने स्वास्थ्य पर नियंत्रण रख सके व मौलिक अधिकारों का प्रयोग कर सके इसलिए 1971 में भारतीय संसद द्वारा गर्भपात कानून पारित किया गया। गर्भपात से संबंधित एम.टी.पी. अधिनियम 1 अप्रेल 1972 से प्रभाव में आया और 1975 में इसमें संशोधित किया गया। परन्तु धीरे-धीरे सामाजिक व्यवस्था में पुत्र प्राप्ति की चाह के कारण समाज में महिलाओं का जबरन गर्भपात करवाया जाने लगा। कई मामलों में महिलाएँ स्वयं स्वेच्छा पूर्वक पुत्र की लालसा, वंश, सांस्कृतिक लेन-देन, शादी-विवाह में अत्याधिक खर्च आदि के कारण लिंग जांच के पश्चात कन्या भ्रूण हत्या में भागीदार होती है।

कन्या भ्रूण हत्या एक जघन्य अपराध है। इससे समाज में लिंग असमानता बढ़ रही है जो कि सामजिक व्यवस्था की नींव को हिला देगी। तकनीकी विकास के बाद हम लिंग जांचकर गर्भ में ही कन्या को समाप्त कर देते है जबकि तकनीकी विकास के पूर्व जन्म के बाद उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता था। राजस्थान के जैसलमेर जिले में यह मान्यता थी कि यदि कन्या का जन्म होता था, तो उसे दूध से भरी हुई कढ़ाई में डुबाकर मार दिया जाता था उसे कांच को महिन पीस कर उसे दूध में मिलाकर पिलाया जाता था ताकि व जीवित ना रहे। कई क्षेत्रों में ऐसी भी प्रथा प्रचलित थी कि कन्या के गले पर चारपाई का एक पाया रखा जाता था एवं घर का बुजुर्ग व्यक्ति उस चारपाई पर बैठता था, जिससे कन्या का गला दब जाता व उसकी हत्या की जाती थी। परन्तु तकनिकी विकास के कारण वर्तमान समय में उसे कोख में ही मार दिया जाता है। हमारी सामाजिक व्यवस्था में महिला को सदैव द्वितीय श्रेणी का माना जाता है। बचपन में पिता, यौवन अवस्था में पति व बुढ़ापे में पुत्र के सरंक्षण में जीवन व्यतीत करती है।

मासूम सी नन्ही परी हूं मैं,
तुम्हे कुछ बताया चाहती हूं,
यूं कोख में ही ना मिटा दो मुझको,
दुनिया में आना चाहती हूं मैं.....

कन्या भ्रूण हत्या समाज पर एक भीषण कलंक है। यदि पुरूष मानव जाति के सवंर्धन का आवश्यक भाग है तो स्त्री भी उसके अस्तित्व का आवश्यक तत्व है। उसके पास मातृत्व शक्ति है और संतति ही मानव जाति का अस्तित्व है।

यदि हम कन्या भ्रूण हत्या को नही रोक पाएंगे तो आने वाला समय भयानक होगा। जब मां, बहन, पत्नी के रूप में स्त्री का अस्तित्व खतरे में होगा।

कहती बेटी गर्भ में, कर के ये चीत्कार,
मेरी हत्या मत करो, करो मुझे स्वीकार,
जीने का है हक मुझे, जीने दो इक बार,
मुझ से ही पीढी चले, मुझ से ही संसार।

भारत सरकार ने इस बढ़ते हुए लिंग अनुपात को ध्यान में रखकर 1994 में (PCPNDT ACT (Pre Conception & Pre Natal Diagnostic Technique) को पारित किया।

कन्या भ्रूण हत्या पर होने वाली कई चर्चाओं तथा इस कृत्य को रोकने के लिए बनाई गई योजनाओं को अंजाम तो मिला, लेकिन लड़ाई अब भी बाकि है। ग्लैमर जगत् भी अब इसमें शामिल हो गया हैं इसी के अन्तर्गत रैम्प पर ग्लैमर जगत् की सेलिब्रिटीज संजय गुप्ता, जीनत अमान, रोनित रॉय, पूजा बेदी आदि अपनी बेटियों के साथ मौजूद थे। कई चैनलों पर बेटीयों पर आधारित धारावाहिक भी दिखाए जा रहे है। जैसे- बालिका वधु, ना आना इस देश मेरी लाडो, अगले जन्म मोहे बिटिया ही कीजो आदि इसी विषय पर आधारित है। कन्या भ्रूण हत्या शिक्षित लोगों से भी जुड़ा है यह केवल गांवों या पिछड़े इलाकों से संबंधित नही है।

वर्तमान समय में शिक्षित नारी जो कि सफल परिवार से जुड़ी हो, यदि वह स्वयं अपनी कन्या संतान को हत्या कर दे तो इससे अधिक अतिशयोक्ति नही हो सकती। यद्यपि सरकार ने कानून बनाए है तथा महिला शिक्षा का भी प्रसार किया जा रहा है। परन्तु सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत आज भी हमारी सोच संकीर्ण ही है। एक महिला ही महिला की दुश्मन होती दिखाई देती है। इसका ज्वलंत उदाहरण जयपुर का एक संपन्न परिवार है। जहाँ एक शिक्षित महिला ने अपनी कन्या को स्वयं मार दिया व उसका शव ए.सी. में छुपा दिया। क्या उसकी ममता ने उसे रोका नही? उसके समक्ष कोई आर्थिक मजबूरी भी नही थी। परन्तु उसने ऐसा घिनौना कृत्य किया, जो यह दर्शाता है कि जब तक नारी स्वयं उसके लिए जागरूक नही होगी, तब तक इस समस्या को समाप्त नही किया जा सकेगा। कन्या भ्रूण हत्या करने वालों के लिए चंद पक्तियां है :-

गर बेटी बरदाश्त नही, तो बहू क्यों चाहिए ?
अगर बेटी बरदाश्त नही, तो जीवन संगिनी क्यों चाहिए ?

मेरे सवाल लाजमी समझो तो मेरी बात पर गौर करना। वरना इस सृष्टि के अंत की प्रतिक्षा करना। और विज्ञान इस बात को साबित कर चूका है की लड़का या लडकी होना महिलाओं पर नही पुरूष पर निर्भर करता है, तो आप अपनी पत्नी बहु को कन्या के होने पर दोष न दे।

लड़का लड़की एक समान,
ये बात कब समझेगा इंसान

सन्दर्भ सूची -

1. A qureshy (Killing baby, girls - a social practices, hindustan tmes, new delhi) 30 Oct. 1988.
2. Female Foeticide in rural Haryana, Haryana Cited by 19 george.
3. a Female Foetus Ashish bose, 12 Sept. 2007 South Asia Books, University of Virinia.
4. राजस्थान में कन्य शिशु वध पर एक शोध अध्ययन विहान

वेब लिंक -

3. indiaopiner.com/poem-female-forticide.
4. www.deepawali.co.in/poem-nanhi-ki-pukar-in-hindi-html.
5. www.hindikiduniya.com/essay/female-foeticide-essay-in-hindi.

***